भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 447
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: वन्यजीवों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजा

447. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन्यजीवों से संबंधित फसल क्षति से प्रभावित किसानों के लिए कोई मुआवजा तंत्र मौजूद है और पिछले तीन वर्षों में सोलापुर जिले में कितने दावों का निपटारा किया गया है;

(ख) क्या मंत्रालय निर्वाचन क्षेत्र सोलापुर, महाराष्ट्र में इस संबंध में बढ़ते हुए संत्रास को देखते हुए जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति को रोकने के लिए मालधोक अभयारण्य के चारों ओर सुरक्षात्मक बाड़ लगाने के लिए कदम उठाएगा; और

(ग) क्या क्षेत्र में प्रभावित किसानों को मुआवजे का त्वरित आकलन करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करने की कोई योजना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से फसलोपरांत तक ऐसे प्राकृतिक जोखिमों जिन्हें रोका जा सकता है, के कारण फसल के नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान जिसे रोका जा सकता है, पहले कवर नहीं किए गए थे। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को राज्य सरकार के खर्च पर अतिरिक्त कवर के रूप में प्रत्येक मामले के आकलन के बारे में जंगली जानवरों द्वारा नुकसान को अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है। इस तरह के कवरेज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में दिया गया है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने पीएमएफबीवाई के तहत इस अतिरिक्त कवर को कभी अधिसूचित नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार देश में वन्यजीवों और उनके आवास के प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं "वन्यजीव आवास विकास", "प्रोजेक्ट टाइगर" और "प्रोजेक्ट एलीफेंट" के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत समर्थित गतिविधियों में खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का उपयोग करके बायो-फेंसिंग, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण/स्थापना शामिल है।

फरवरी, 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी व्यक्ति-वन्यजीव टकराव से निपटने के लिए एक परामर्श में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, विवादित हॉट स्पॉट्स की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना, अनुग्रह राहत की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन, शीघ्र भुगतान के लिए मार्गदर्शन/निर्देश जारी करना, और मृत्यु एवं घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह राहत के उपयुक्त हिस्से के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्य जीव टकराव की स्थितियों से निपटने के लिए नियामक कार्यों का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में व्यक्ति-वन्य जीव टकराव की स्थिति में अनुग्रह राशि में वृद्धि की है। अनुग्रह राशि के अंतर्गत राहत की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	**जंगली जानवरों द्वारा पहुँचाए गए नुकसान की प्रकृति**	**अनुग्रह राशि**
(क)	व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10 लाख रुपये
(ख)	गंभीर चोट	2 लाख रुपये
(ग)	मामूली चोट	उपचार की लागत 25000/- रुपये प्रति व्यक्ति तक
(घ)	संपत्ति/फसल का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने मानदंडों के अनुसार मुआवजा दे रहे हैं।

*****